

कार्यालय-कमिशनर, राज्य कर, उ0प्र0

(जी0एस0टी0 अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक 03 दिसम्बर, 2022

समस्त,

अपर आयुक्त, ग्रेड-1,
संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक),
उपायुक्त (कर निर्धारण),
सहायक आयुक्त (कर निर्धारण)
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Union of India Vs Filco Trade Centre के वाद में Tran-1 एवं Tran-2 पुनः दाखिल किये अथवा इनमें संशोधन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन के क्रम में GSTN द्वारा Tran-1 एवं Tran-2 पुनः दाखिल किये अथवा इनमें संशोधन किये जाने हेतु कॉमन पोर्टल पर सुविधा प्रारम्भ की गयी है।

2. उपरोक्तानुसार करदाता द्वारा दाखिल किये जाने वाले Tran-1 एवं Tran-2 प्रार्थना-पत्र सत्यापन एवं आवश्यक अग्रतर कार्यवाही हेतु कर निर्धारण कार्यालयों को प्राप्त कराये जा रहें हैं। फील्ड में कार्यरत इकाईयों द्वारा यह तथ्य प्रकाश में लाया गया है कि GSTN द्वारा सत्यापन हेतु ऑनलाइन उपलब्ध कराये जाने वाले Tran-1 एवं Tran-2 प्रार्थना-पत्र उपायुक्त, सहायक आयुक्त तथा राज्य कर अधिकारी के क्षेत्राधिकार के अनुसार वर्गीकृत नहीं हैं और यह प्रार्थना-पत्र अनियमित रूप से इन अधिकारियों के मध्य वितरित हो रहें हैं। यह भी अवगत कराया गया है कि इन प्रार्थना-पत्रों के क्षेत्राधिकार के अनुसार पुनर्वितरण की कोई सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है।

3. उपरोक्त वर्णित समस्या तथा Tran-1 एवं Tran-2 प्रार्थना-पत्र सत्यापन हेतु निर्धारित समयबद्धता के दृष्टिगत, आयुक्त उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 168 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नवत निर्देशित करती हैं-

3.1 प्रत्येक खण्ड कार्यालय में प्राप्त Tran-1 एवं Tran-2 प्रार्थना-पत्रों की भौतिक प्रतियां (Physical copies) तैयार कराते हुए पत्रावली बनायी जायेगी।

3.2 खण्ड प्रभारी उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त (B श्रेणी के ऐसे खण्ड जहां सहायक आयुक्त खण्ड प्रभारी के रूप में तैनात हैं) के द्वारा अपने पर्यवेक्षण एवं निर्देशन के

अन्तर्गत सम्बन्धित खण्ड कार्यालय को प्राप्त Tran-1 एवं Tran-2 प्रार्थना-पत्रों का सत्यापन पूर्ण कराया जायेगा।

- 3.3 Tran-1 एवं Tran-2 प्रार्थना-पत्रों के सत्यापन के दौरान पायी गयी अनियमितता के सम्बन्ध में संसूचना (Notice) सम्बन्धित खण्ड के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार के अनुसार उपायुक्त, सहायक आयुक्त अथवा वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी। इस प्रकार नोटिस जारी किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित आदेश फलक खण्ड प्रभारी द्वारा अवलोकित किया जायेगा।
- 3.4 Tran-1 एवं Tran-2 प्रार्थना-पत्रों के सत्यापन के पश्चात पायी गयी Eligible ITC से सम्बन्धित प्रविष्टियां खण्ड प्रभारी के पर्यवेक्षण तथा निर्देशन में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत पोर्टल पर दर्ज करायी जायेंगी।
4. इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
5. निर्देशों के अनुपालन में आयी किसी भी प्रकार की कठिनाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाये।

 3/12/22

(मिनिस्ती एस0)

आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश